



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082025-265465
CG-DL-E-18082025-265465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3606]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3606]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3698 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2410(E) तारीख 30/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH-168G के कि.मी. 62.5 से कि.मी.81.3 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "06-जून-2025 " को "संदेश" और "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH-168G के कि.मी. 62.5 से कि.मी.81.3 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: साबरकांठा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: इंदर					
गांव का नाम: माढवा					
1	214	निजी	कृषि	0.033	पटेल मणिलाल करशनभाई, पटेल मोहनलाल अमलखभाई, पटेल डाहयाभाई अमलखभाई, पटेल दवाभाई भाईचंदभाई, पटेल चिमनभाई दवाभाई, पटेल कचराभाई दलाभाई, पटेल पुरषोतमभाई छगनभाई, पटेल मंगूबेन पुंजीराम, पटेल नटवरभाई पुंजीराम, जशीबेन रमणभाई पटेल, हिनाबेन रमणभाई पटेल, अश्विनभाई रमणभाई पटेल, पीनलबेन रमणभाई पटेल, अणखिबेन मणिलाल पटेल, शर्मिष्ठाबेन मणिलाल पटेल, सरोजबेन मणिलाल पटेल, अश्विनकुमार मणिलाल पटेल, दक्षाबेन मणिलाल पटेल
2	472	निजी	कृषि	0.0011	वंजारा राणाजी प्रभुजी
3	473	निजी	कृषि	0.0069	चौहान शिवसिंह नाथूसिंह चौहान चंदाबेन नाथूसिंह चौहान भगुबेन नाथूसिंह चौहान संतोकबेन नाथूसिंह

4	474	निजी	कृषि	0.0159	बंजारा राणाजी प्रभुजी
5	476	निजी	कृषि	0.0268	पटेल सुरेशकुमार शंकरलाल, पटेल भगीबहेन सुरेशकुमार, पटेल जयेशकुमार सुरेशलाल, पटेल देवेन्द्रकुमार सुरेशलाल
6	507	निजी	कृषि	0.0093	पटेल दलीबेन माधालाल की विधवा, वंदनाबेन जीवाभाई पटेल, केतनभाई जीवाभाई पटेल, कमलेशभाई जीवाभाई पटेल, शारदाबेन जीवाभाई पटेल
7	514	निजी	कृषि	0.0278	पटेल बाबूभाई डाहयाभाई
8	515	सरकारी	पड़तर	0.0076	सरकारी पड़तर
9	517	निजी	कृषि	0.0075	मधीबेन भीखाभाई पटेल, सुधीरभाई भीखाभाई पटेल, हिरलबेन भीखाभाई पटेल, देवेन्द्रकुमार भीखाभाई पटेल
10	518	सरकारी	पड़तर	0.0094	श्री सरकार
11	519	निजी	कृषि	0.0012	पटेल जगदीशभाई मोहनभाई
12	520	निजी	कृषि	0.0006	पटेल जशवंतकुमार रमणलाल, पटेल शारदाबेन रमणलाल की विधवा, पटेल संजयकुमार रमणलाल
13	521	निजी	कृषि	0.0104	जशीबेन रमणभाई पटेल, हिनाबेन रमणभाई पटेल, अश्विनभाई रमणभाई पटेल, पीनलबेन रमणभाई पटेल
14	522	निजी	कृषि	0.0058	पटेल सुरेशकुमार शंकरलाल पटेल रमेशभाई शंकरलाल
गांव का नाम: उमेदगढ़					
15	1448	निजी	कृषि	0.0151	पटेल दानाभाई जशकरणभाई

16	460	निजी	कृषि	0.007	वणकर अरविंदभाई हीराभाई
17	461	सरकारी	पड़तर	0.0011	सरकारी पड़तर
Total				0.1865	

[फा. सं. GJ/P/V/14/09/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3698(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2410(E) Dated:30/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-168G in the stretch of land from Km. 62.5 to Km. 81.3 (Sabarkantha) in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Sandesh**” and “**The Times Of India**” both Dated **06 June 2025** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-168G in the stretch of land from Km. 62.5 to Km. 81.3(Sabarkantha) in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: Sabarkantha		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Idar					
Village: Madhva					
1	214	Private	Agriculture	0.033	Patel Manilal karshanbhai, Patel Mohanlal Amulakhbhai, Patel Dahyabhai Amulakhbhai,

					Patel Davabhai bhaichandbhai, Patel Chimanbhai Davabhai, Patel Kacharabhai dalabhai, Patel Purshotambhai Chhaganbhai Patel Manguben Punjiram, Patel Natvarbhai Punjiram, Jashiben Ramanbhai Patel, Hinaben Ramanbhai Patel, Ashvinbhai Ramanbhai Patel, Peenalben Ramanbhai Patel, Alkhiben Manilal Patel, Sharmishthaben Manilal Patel, Sarojben Manilal Patel, AshvinKumar Manilal Patel, Dakshaben Manilal Patel
2	472	Private	Agriculture	0.0011	Vanjara Ranaji Prabhuji
3	473	Private	Agriculture	0.0069	Chauhan Shivsingh Nathusingh Chauhan Chandaben Nathusingh Chauhan Bhaguben Nathusingh Chauhan Santokben Nathusingh
4	474	Private	Agriculture	0.0159	Vanjara Ranaji Prabhuji
5	476	Private	Agriculture	0.0268	Patel Sureshkumar Shankarlal, Patel Bhagibahen Sureshkumar, Patel Jayeshkumar Sureshlal, Patel Devendrakumar Sureshlal
6	507	Private	Agriculture	0.0093	Patel Daliben Madhalal ki Vidhva, Vandnaben Jivabhai Patel, Ketanbhai Jivabhai Patel, Kamleshbhai Jivabhai Patel, Shardaben Jivabhai Patel
7	514	Private	Agriculture	0.0278	Patel Babubhai Dahyabhai
8	515	Government	Padtar	0.0076	Sarkari Padtar
9	517	Private	Agriculture	0.0075	Madhiben Bhikhabhai Patel, Sudhirbhai Bhikhabhai Patel, Hiralben Bhikhabhai Patel, Devendrakumar Bhikhabhai Patel
10	518	Government	Padtar	0.0094	Shri Sarkar
11	519	Private	Agriculture	0.0012	Patel Jagdishbhai

					Mohanbhai
12	520	Private	Agriculture	0.0006	Patel Jashvantkumar Ramanlal, Patel Shardaben Ramanlal ki Vidhva, Patel Sanjaykumar Ramanlal
13	521	Private	Agriculture	0.0104	Jashiben Ramanbhai Patel, Hinaben Ramanbhai Patel, Ashvinbhai Ramanbhai Patel, Pinalben Ramanbhai Patel
14	522	Private	Agriculture	0.0058	Patel SureshKumar Shankarlal Patel Rameshbhai Shankarlal
Village: Umedgadh					
15	1448	Private	Agriculture	0.0151	Patel Danabhai Jashkaranbhai
16	460	Private	Agriculture	0.007	Vankar Arvinbhai Hirabhai
17	461	Government	Padtar	0.0011	Sarkari Padtar
Total				0.1865	

[F. No GJ/P/V/14/09/2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director